# BULANDSHAHR POLICE

**दिनांक 12 जुलाई 2024**

**"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के 05 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व 60,000-60,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- सलमान पुत्र शेरु निवासी जी-25 ब्लॉक काशीराम आवास कस्बा व थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर, 2- दानिश, 3- बबलू, 4- सलमान पुत्रगण सईद उर्फ शहीद निवासीगण एफ-30 ब्लॉक काशीराम आवास कस्बा व थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर व 5- गुड्डू पुत्र अली मौहम्मद निवासी लाल दरवाजा थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में एक राय होकर शस्त्रों से लैस होकर वादी प्रेमपाल पुत्र झम्मनलाल निवासी कालिन्दी कुंज कस्बा व थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर के पुत्र को चाकू मारकर घायल करने व भाई नवीन की हत्या करने दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 29.07.2013 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं – 496/13 धारा – 148/324/307/149/302 भादवि पजीकृत किया गया तथा दिनांक 15.10.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 12 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 12.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे–13 स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र शेरु, 2. दानिश, 3. बबलू, 4. सलमान पुत्रगण सईद उर्फ शहीद व 5. गुड्डू को सश्रम आजीव कारावास व 60,000-60,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव व श्री रश्मि सोंलकी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**मीडिया सेल बुलन्दशहर**